

न्यायालय :- न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी इन्दौर म.प्र.

(समक्ष - (श्रीमति बिंदिया पाठक)

प्रकरण क्रमांक SUM/ 13953/26

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र संयोजित जिला इन्दौर म.प्र. अभियोगी
बनाम

सावेरा पद्म क मिनवा पद्म
सहिल्या पुते व्याकरी 22
-: निर्णय :-

अभियुक्त

(आज दिनांक 28/03/26 को घोषित)

1- अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया गया है, तदनुसार उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन सासक्ष्य आहूत किया जाना आवश्यक नहीं है।

2- तदनुसार अभियुक्त को धारा 185 एवं मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुवे अभियुक्त को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में उसे 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक MP09AM7945 को उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावे। /पूर्व से सुपुर्दनामे पर है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

खुले न्यायालय में घोषित व हस्ताक्षरित किया।

मेरे निर्देशन पर अंकित किया।

28/3/26
(श्रीमति बिंदिया पाठक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.

28/3/26
(श्रीमति बिंदिया पाठक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.